न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला – पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी :– श्री राजेन्द्रसिंह आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या	:–	69/2019
आर.सी.एम.एस.	:–	2019/00119
दायर तिथि	:–	14.10.2019
तारीख निर्णय	:–	16.01.2020

प्रार्थी :–

1. मनुभाई पुत्र लक्ष्मीदास
2. नारायणभाई पुत्र लक्ष्मीदास
   जातिगण – पटेल
   निवासीगण – बांकली तह. – सुमेरपुर, जिला – पाली।
   हाल – डबोई, जिला – बडौदरा

बनाम

अप्रार्थी :–

1. राजस्थान सरकार जरिए भूमिधारी तहसीलदार सुमेरपुर, जिला–पाली (राज.)।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर.एल.आर. एक्ट 1956

–: निर्णय :–

दिनांक 16.01.2020

वकील प्रार्थी एवं सरकारी पैरोकार उपस्थित। बहस सुनी गयी।

प्रार्थना पत्र में वर्णित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि :–

(1) प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र सरहद मौजा बांकली तहसील सुमेरपुर में स्थित खातेदारी कब्जाशुदा कृषि भूमि हाल गत खसरा नं. 332 कुल रकबा 15।।।/4 बीघा किस्म चाही तृतीय आयी हुई हैं, जिसके नये खसरा नं. 533 रकबा 0.75 हैक्टेयर, खसरा नं. 534 रकबा 0.67 हैक्टेयर, खसरा नं. 535 रकबा 0.60 हैक्टेयर, खसरा नं. 537 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नं. 538 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नं. 539 रकबा 0.01 हैक्टेयर व खसरा नं. 540 रकबा 0.41 हैक्टेयर बने। लेकिन उक्त खसरा नम्बरान् में से खसरा नं. 540 रकबा 0.41 हैक्टेयर की किस्म गै.मु. आबादी जो कि गलत दर्ज की गयी है, जबकि उक्त खसरा नं. की किस्म चाही तृतीय है। सैटलमेन्ट के दौरान सेटलमेन्ट के कर्मचारियों के द्वारा गत खसरा नम्बर दर्ज करते समय उपरोक्त खसरा नं. 540 रकबा 0.41 हैक्टेयर भूमि की किस्म तृतीय से गै.मु. आबादी गलत रूप से दर्ज कर दिया गया, जो वर्तमान रेकर्ड में लगातार चली रही है। उपरोक्त भूमि सेटलमेन्ट के बाद भी उक्त कृषि भूमि पर कृषि कार्य किया जा रहा है।

(2) कि प्रार्थीगण की उक्त कृषि भूमि गत खसरा नं. 332 से नये बने खसरा नम्बर 540 रकबा 0.41 हैक्टेयर भूमि की किस्म तृतीय से गै.मु. आबादी गलत रूप से दर्ज कर दिया गया, जो किस्म परिवर्तन बिना किसी कारण से की गयी है।

सरकारी पैरोकार तहसीलदार सुमेरपुर ने अपनी जांच रिपोर्ट/जबाव में यह बताया कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि ग्राम बांकली के गत खसरा नं. 332 रकबा 15 बीघा 19 बिस्वा भूमि जमाबन्दी संवत् 2027 से 2030 तक के खाता संख्या 368 के अनुसार वादीगणों के नाम खातेदारी दर्ज है। वादग्रस्त खसरा नं. 332 रकबा 15 बीघा 19 बिस्वा भूमि की किस्म सैटलमेन्ट से पूर्व चाही तृतीय दर्ज रही है। वादग्रस्त खसरा नं. 540 रकबा 0.41 हैक्टेयर भूमि की किस्म सैटलमेन्ट के बाद बनी प्रथम जमाबन्दी संवत् 2036 से 2056 के अनुसार गै.मु. आबादी दर्ज की गयी है जो आज तक बदस्तुर है।

हमने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत समस्त राजस्व रेकर्ड एवं सरकारी पैरोकार द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं मौका रिपोर्ट इत्यादि का सावधानी पूर्वक अवलोकन व परीक्षण किया गया। जिससे स्पष्ट जाहिर होता है कि सेटलमेन्ट कर्मचारियों ने गत खसरा नं. 332 रकबा 15 बीघा 19 बिस्वा बने नये खसरा नम्बरान् 533, 534, 535, 537, 538, 539. 540 में से खसरा नं. 540 रकबा 0.41 हैक्टेयर भूमि की किस्म चाही तृतीय के स्थान पर गलत रूप से गै.मु. आबादी दर्ज की है। जिसका शुद्धिकरण किया जाना उचित है। जिससे उपरोक्त खसरा नं. 540 में भूमि की किस्म गै. मु. आबादी के स्थान पर पूर्व अनुसार चाही तृतीय दर्ज किये जाने के आदेश पटवारी हल्का बांकली एवं तहसीलदार सुमेरपुर को दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक **16.01.2020** को सरेइजलास सुनाया गया।
पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर
उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला–पाली

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Singh
Date: 2020.02.14 17:46:37 IST
Reason: SelfAttested